

न्यायालय, समाहर्ता, खगड़िया।

30/03/2017 17/14

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक-ता० से

जिला-खगड़िया सा० सन्

केस का प्रकार:-बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में।

आदेश की क्रम नं० और तारीख 1	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी -तारीख-सहित 3
--------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------------------------------------

13.5.2017

पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 1709/सी०आर० दिनांक 10.05.2017 द्वारा परबत्ता (मरैया) थाना काण्ड संख्या-122/2017 दिनांक 19.01.2017 धारा-47(ए०) बिहार उत्पाद संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जप्त किये गये विदेशी शराब-375एम०एल० वाला 10 बोतल Royal Stage बरामद किया जिसमें तीन बोतल विदेशी शराब जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बिहार पटना भेजा गया है, शेष 07 (सात) बोतल विदेशी शराब थाना के मालखाना में रखा हुआ है। थानाध्यक्ष परबत्ता (मरैया) का प्रतिवेदन संलग्न है।

विदेशी शराब-375एम०एल० वाला 07 (सात) बोतल Royal Stage सड़ने गलने की पूर्ण संभावना एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर को लेकर विनष्ट करने की अनुमति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

अतः उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-57 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि बेलदौर थाना कांड में जप्त देशी/विदेशी शराब को अपने देख रेख में नष्ट करें, तथा अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करेंगे।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक,खगड़िया/थानाध्यक्ष, परबत्ता (मरैया) /उत्पाद अधीक्षक,खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्ता, खगड़िया।
13/5



समाहर्ता, खगड़िया।

Handwritten notes and signatures on the right side of the page. The notes include: '13-05-2017', 'पुलिस अधीक्षक, खगड़िया', 'परबत्ता (मरैया)', 'विदेशी शराब', '375एम०एल०', '10 बोतल', 'Royal Stage', 'बेल्दौर थाना कांड', 'विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पटना', 'शेष 07 (सात) बोतल', 'मालखाना में रखा हुआ है', 'थानाध्यक्ष परबत्ता (मरैया) का प्रतिवेदन संलग्न है', 'विदेशी शराब-375एम०एल० वाला 07 (सात) बोतल', 'Royal Stage सड़ने गलने की पूर्ण संभावना एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर को लेकर विनष्ट करने की अनुमति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है', 'अतः उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-57 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि बेलदौर थाना कांड में जप्त देशी/विदेशी शराब को अपने देख रेख में नष्ट करें, तथा अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करेंगे।', 'आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक,खगड़िया/थानाध्यक्ष, परबत्ता (मरैया) /उत्पाद अधीक्षक,खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।', 'लेखापित एवं संशोधित'.